क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 515/NGT-142/OA-160/22/2022 दिनांक 23/05/2022

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Report of the Joint Committee submitted in compliance to Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi Order dated 10-03-2022 in OA No-160/2022 Ompal & Ors. Versus State of Uttar Pradesh & Anr.

Respected Sir,

With reference to the above subject mentioned above the joint committee inspected the site in compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 10-03-2022 in OA No-160/2022 Ompal & Ors. Versus State of Uttar Pradesh & Anr. joint Committee's report is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Joint report.

Yours Sincerely

(Utsav Sharma)
Regional Officer

Copy to:

1- Member Secretary, Central Pollution Control Board, New Delhi for information.
2- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4- Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
5- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

O/c AW

Compliance Report

In

Original Application No. 160/2022

Ompal & Ors

Versus

State of Uttar Pradesh & Anr.

Order Date – 10.03.2022

Filed on Behalf of:
Uttar Pradesh Pollution Control Board

1. Background

The matter pertains to grievance raised by the applicant regarding illegal sand mining at Khasra no. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 37 and 38 in village Pachayra Khand1, District Ghaziabad, Uttar Pradesh by contractor Mr. Mumtaz Ali up to the depth of 15-20 feet in river bed of River Yamuna in violation of environmental norms by using restricted use of pokland machineries causing damage to environment. The applicant has also submitted that due to this illegal sand mining, the flow of River Yamuna is shifted from main stream towards restricted area within 600 meters in Uttar Pradesh resulting in submergence of lands of land owners of Uttar Pradesh towards Delhi.

The said complaint has been received by Hon'ble Tribunal by post and in view of above allegations, Hon'ble Tribunal had passed following order on 10.03.2022:

Hon'ble NGT, Delhi on dated 10.03.2022 has passed following order:

"....2. Having regard to the seriousness of the allegations, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a Joint Committee of the State PCB, and District Magistrate-Ghaziabad (Uttar Pradesh). The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF...."

2. **Compliance Report:**

In compliance of Hon'ble Tribunal's orders, the Joint Committee comprising of nominated members from District Administration and State Board inspected the said site at Village Pachayra Khand, District Ghaziabad, Uttar Pradesh was carried out in presence of complainant Shri Ompal on 04.04.2022. The site was inspected by following officers:

i) Mr. Vivek Kumar Shrivastav, Additional District Magistrate, Ghaziabad

ii) Mr. B.K. Singh, Assistant Environmental Engineer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

iii) Mr. Shiv Naresh Singh, Tehsildar, Loni, Ghaziabad

iv) Mr. Kamal Kashyap, Senior Mining Officer Ghaziabad

v) Mr. Navneet Pandey, Junior Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ghaziabad

vi) Mr. Dinesh Kumar, surveyor, regional office, Mining Department, Ghaziabad

vii) Mr. Sanjay Kumar, Regional kannongo, Tehsil Loni, Ghaziabad

viii) Mr. Mahesh Kumar, Regional lekhpal, Tehsil Loni, Ghaziabad

During inspection it was informed by the representative of Mining department that sand mining permission has been granted in favour of Late Shri Fakir Mohammad resident- Mohammadabad, District-Jyotiba Phule Nagar- 244235 for a period of 05 years for total area of 16.183 in gata number 8m, 9m, 10m, 11m, 12m, 13m, 17m, 18m, 19m, 20m, 21m, 22m, 25m, 26m of village Pachayra block-1 , 27m, 30m, 37m, 38m, 39m, 40m, 41m, 53m, 54m, 55m, 56m, 57m, 237m, 238m, 239m, 240mm of village- Pachayara khand-1, tehsil- Loni, Ghaziabad.

The joint team conducted the site inspection of the area in question in the presence of the complainant Shri Ompal to ascertain issues raised by the complainant with regards to degradation of environment and violation of

environmental laws. Point-wise compliance status with respect to complaint is as follows: -

a. **Complaint has been made by the complainant Shri Ompal that illegal sand mining is being done by the lessee Shri Mumtaz Ali in Khasra No. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 37 and 38.**

It was observed by the Joint Committee that the above mentioned Khasras come under the sanctioned lease area in favour of Mr. Mumtaz Ali. Mining work is being done by Mr. Mumtaz Ali in his approved area, which does not come under the category of illegal mining.

b. **Complain has been made by the complainant Mr. Ompal that illegal sand mining is being done by Mr. Mumtaz Ali lessee in the mining area of village Pachayra Khand-1 by doing 15-20 feet deep pit-**

It was noticed by the Joint Committee that a part of the sanctioned lease area is presently submerged and no pothole was found in the area which is dry.

c. **Complaint has been made by the complainant that the work of mining and loading of sand is being done by the lessee by heavy machines-**

It was noticed by the Joint Committee that the work of mining and loading of sand is being done by the excavator cum loading machine in the order of the Directorate's letter no. 414/M (Mining Policy)/2018 dated 21.06.2019 by the lessee.

d. **Complain has been made by the complainant that due to mining by the lessee, the Yamuna River has shifted within a distance of 600 meters from the bandh-**

In relation to the above complaint, it is to be informed that on the basis of joint investigation of Irrigation Department, Revenue Department and Mining Department at the time of lease settlement, the lease section has been formed as per the guide line of Irrigation Department. During the investigation by the joint team, it was noticed on the spot that the mining

work is being done by the lessee within the same geocoordinates in which mining permission is sanctioned. The boundary pillars of the approved mining lease are located on the same place outside 600 meters from pusta of Irrigation Department.

As per Joint report, complain made by complainant is baseless, copy of Joint report along with relevant documents is annexed as **Annexure-1.**

Report is being submitted for kind perusal and necessary action please.

(N. K. Pandey)
Junior Engineer
UPPCB, Ghaziabad

(B. K. Singh)
Assistant Environmental Engineer
UPPCB, Ghaziabad

Annexure-1

संयुक्त जांच आख्या

मा0 एन0जी0टी नई दिल्ली में योजित OA No. 160/2022 Om Pal & Ors. Versus State of Uttar Praesh & Anr. में पारित आदेश दिनांक 10.03.2022, द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जिलाधिकारी गाजियाबाद की संयुक्त समिति के माध्यम से बालू खनन पट्टा ग्राम पचायरा खण्ड–1 के खसरा सं0 8, 9, 10, 11, 12, 13, 37 व 38 में अवैध बालू खनन की जांच किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जनपद गाजियाबाद के प्रतिनिधि के रूप में श्री बी0के0 सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद तथा जिलाधिकारी गाजियाबाद के आदेश दिनांक 15.03.2022 के द्वारा अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0), गाजियाबाद को नामित किया गया। कार्यालय अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजियाबाद के पत्र सं0 2247/एन0जी0टी0–142/ओपन–160/2022 दिनांक 26.03.2022, द्वारा जिला खनन अधिकारी, गाजियाबाद एवं तहसीलदार लोनी को उपरोक्त आदेश के अनुपालन में बालू खनन पट्टा ग्राम पचायरा खण्ड–1 में अवैध बालू खनन की जाँच के समय अपने अधीनस्थ स्टाफ एवं आवश्यक अभलेखो सहित उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया।
दिनांक 04.04.2022 को अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजियाबाद, ज्येष्ठ खान अधिकारी गाजियाबाद, सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद, तहसीलदार लोनी, सर्वेक्षक क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद, क्षेत्रीय कानूनगो एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण शिकायतकर्ता श्री ओमपाल की उपस्थिति में किया गया, जिसकी जांच आख्या निम्नवत् है:–

जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी के अर्न्तगत ग्राम पचायरा खण्ड–1 के गाटा सं0 8मि0, 9मि0, 10मि0, 11मि0, 12 मि0, 13मि0, 17मि0, 18, 19, 20मि0, 21मि0, 22मि0, 25मि0, 26मि0, 27मि0, 30मि0, 37मि0, 38मि0, 39मि0, 40मि0, 41मि0, 53मि0, 54मि0, 55मि0, 56मि0, 57मि0, 237मि0, 238मि0, 239मि0, 240मि0 के रकबा–16.183 हे0 में 05 वर्ष की अवधि के लिये बालू खनन श्री मुमताज अली पुत्र स्व0 श्री फकीर मौहम्मद निवासी– मौहम्मदाबाद, जनपद–ज्योतिबा फूले नगर– 244235 के पक्ष में स्वीकृत एवं संचालित है।

शिकायतकर्ता श्री ओमपाल द्वारा शिकायत की गयी है कि पट्टेधारक श्री मुमताज अली द्वारा खसरा सं0 8, 9, 10, 11, 12, 13, 37 व 38 में 15–20 फीट गहरे गडढे करके अवैध बालू खनन किया जा रहा है, साथ ही पट्टेधारक द्वारा भारी मशीनों द्वारा बालू खनन कर लोडिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण पट्टेधारक द्वारा खनन करने से यमुना नदी बंधे से 600 मीटर की दूरी के अन्दर शिफ्ट हो गयी है।

उक्त शिकायत के सम्बंध में जांच के समय पाया गया कि उपरोक्त उल्लिखित खसरा सं0 श्री मुमताज अली के पक्ष में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के अर्न्तगत आते है। श्री मुमताज अली द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किया जा रहा है, जो अवैध खनन की श्रेणी में नहीं आता है। स्वीकृत पट्टा क्षेत्र का एक हिस्सा वर्तमान में जलमग्न है एवं जो क्षेत्र सूखे में है उसमें किसी भी प्रकार का गडढा नहीं पाया गया। भारी मशीनों के सम्बंध में गठित टीम ने देखा कि जाँच के समय पट्टाधारक द्वारा निदेशालय के पत्र सं0 414/एम0 (खनन नीति)/2018 दिनांक 21.06.2019 में उल्लेखित मशीन द्वारा कार्य किया जा रहा है। **(निदेशालय के पत्र दिनांक 21.06.2019 की छायाप्रति एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार)नियमावली, 2021 के नियम–35 की छायाप्रति संलग्न है।)**

उक्त शिकायत के सम्बंध में अवगत कराना है कि पट्टा व्यवस्थापन के समय सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त जांच के आधार पर सिंचाई विभाग के गाईड लाईन के अनुसार की पट्टा खण्ड बना है। संयुक्त टीम द्वारा जांच के समय मौके पर देखा गया कि व्यवस्थापन के समय जो जियोकार्डिनेटस है, उसी जियोकार्डिनेटस के अन्दर ही पट्टेधारक द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा है। सिंचाई विभाग के पुस्ता से 600 मीटर के बाहर ही स्वीकृत खनन पट्टे के सीमास्तम्भ यथा स्थान स्थित है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत हैः–

अतः शिकायतकर्ता की उपरोक्त शिकायत निराधार है।

उपरोक्तानुसार जांच आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रस्तुत है।

08/04/2022 8/4/2022 8/4/2022

क्षेत्रीय लेखपाल | क्षेत्रीय कानूनगो | सर्वेक्षक
क्षेत्रीय कार्यालय
गाजियाबाद | तहसीलदार
लोनी

08/04/22

सहायक पर्यावरण अभियंता,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद

ज्येष्ठ खान अधिकारी
गाजियाबाद।

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या: 414 /एम0-खनन नीति/2018 दिनांक: 21 जून 2019

विषय- उपखनिज बालू/मौरम के खनन व निकासी में मशीनों के प्रयोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे अवगत कराना है कि जनपदों में नदी तल में उपलब्ध उपखनिज बालू/मौरम के स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आया है कि खनन पट्टाधारकों द्वारा बालू खनन एवं निकासी में मानक के विपरीत अत्यधिक भारी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के दिशा निर्देश एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित विभिन्न आदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि बालू खनन में प्रयुक्त एक्सवेटर कम लोडिंग मशीन की Boom Length तीन मीटर एवं Bucket Capacity एक घनमीटर से अधिक न हो परन्तु खनन पट्टा धारकों द्वारा Poclain आदि कम्पनियों के भारी मशीन का प्रयोग कर अत्यधिक गहराई में बालू का खनन किये जाने से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना है। अधिक खनन के कारण बालू की ओवरलोडिंग को बढ़ावा मिलता है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि नदी तल में बालू एवं मौरम के खनन में मानक से अधिक Boom Length के एक्सवेटर कम लोडिंग मशीन का प्रयोग न हो, यह अपने स्तर से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 रोशन जैकब)
निदेशक।

पत्र संख्या: /एम0-खनन नीति/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:- प्रमुख सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म उ0 प्र0 शासन लखनऊ।

2:- समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(डॉ0 रोशन जैकब)
निदेशक।

Scanned with CamScanner

डब्लू0/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 अक्टूबर, 2021

कार्तिक 7, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

संख्या 1157/86-2021–03(सा0)-2021

लखनऊ, 29 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

सा0प0नि0–78

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 20 के साथ पठित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 15 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 का अधिक्रमण करके राज्यपाल उपखनिजों के परिहार को विनियमित करने तथा अन्य सम्बन्धित प्रयोजनों की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:–

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(4) यह राज्य में उपलब्ध समस्त उपखनिजों पर लागू होगी।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) से है;

(ख) कैप्टिव माइन्स का तात्पर्य ऐसे खनन पट्टे से है जहां पट्टा से उत्खनित खनिज के सम्पूर्ण मात्रा के 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा का उपयोग, ऐसे उद्योग में किया जाता हो जिसका स्वामी स्वयं पट्टेदार है;

(ग) "समिति" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा सरकारी अधिसूचना संख्या–4343/18–12–90–601/87 दिनांक 29 अगस्त, 1990 द्वारा गठित समिति से है, जिसमें जिला अधिकारी अध्यक्ष और निदेशक के प्रतिनिधि तथा प्रभागीय वन अधिकारी सदस्य होंगे और जिसे राज्य सरकार ने नियम 73 के अधीन आरक्षित वन क्षेत्रों के संबंध में अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर दी है;

387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा वित्तीय आश्वासन दिया जायेगा। वित्तीय आश्वासन की रकम स्वस्थाने चट्टान किस्म की खान के लिये पच्चीस हजार रूपये एवं बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हों और जो नदी तल में, खनन और सहबद्ध क्रियाकलापों के लिये प्रयोग में लाये गये खनन पट्टा क्षेत्र के प्रति एकड़ खान में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के लिये पन्द्रह हजार रूपये होगी। तथापि उपनियम(7) में विनिर्दिष्ट प्रारूपों में से किसी में दी गयी वित्तीय आश्वासन की न्यूनतम् धनराशि प्रत्येक श्रेणी की खानों या संबंधित क्षेत्र के लिये दो लाख रूपये होगी :

प्रतिबंध यह है कि किसी पट्टाधारक से खनन और सहबद्ध क्रियाकलापों के क्षेत्र में वृद्धि के साथ वित्तीय आश्वासन की रकम बढ़ाये जाने की अपेक्षा की जायेगी:

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि जहाँ पट्टाधारक खान को उत्तरोत्तर बंद करने के भाग के रूप में भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय को हाथ में लेता है, वहाँ इस प्रकार व्यय की गयी रकम की गणना पट्टाधारक द्वारा पहले से ही व्यय की गयी वित्तीय आश्वासन की राशि के रूप में की जायेगी और पट्टेदार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय आश्वासन की कुल धनराशि उस सीमा तक घटा दी जायेगी।

(7) वित्तीय आश्वासन या उसका कोई संशोधन निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में पट्टा विलेख निष्पादन के पूर्व पट्टेदार द्वारा यथास्थिति, जिलाधिकारी अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा:—

(क) किसी अनुसूचित बैंक से प्रत्यय—पत्र,

(ख) निष्पादन या प्रतिभूति बंध—पत्र,

(ग) प्रतिभूति का कोई अन्य प्रारूप या सक्षम अधिकारी को स्वीकार्य कोई अन्य गारन्टी।

(8) वित्तीय आश्वासन की निर्मुक्ति पट्टेदार द्वारा खान बंद करने की योजना में अन्तर्विष्ट उपबंधो के समाधानप्रद अनुमान के लिये दी गयी यथास्थिति जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित अधिसूचना पर प्रभावी होगी।

(9) यदि जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने के युक्ति—युक्त आधार हैं कि अनुमोदित "खान बंद करने की योजना" से जिसके संबंध में वित्तीय आश्वासन दिया गया था, परिकल्पित रूप मे संरक्षा, भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय "खान बंद करने की योजना" के अनुसार पूर्णत या आंशिक रूप से कार्यान्वित नहीं किये गये हैं या नहीं किये जायेंगे तो जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पट्टेदार को आश्वासन दी गयी राशि को प्रत्याहृत करने के लिये आदेश जारी करने के आशय की लिखित सूचना आदेश जारी किये जाने के दिनांक के कम से कम तीस दिन पूर्व देगा।.

(10) उपनियम (9) में विनिर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर यदि पट्टेदार से कोई लिखित समाधानप्रद उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यथास्थिति जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूति रकम प्रत्याहृत करने के लिये आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति राज्य सरकार को पृष्ठांकित की जायेगी।

(11) जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जाने पर संबंधित राज्य सरकार, संरक्षा भूमि उद्धार और पुनर्वासन के प्रयोजन के लिये वित्तीय आश्वासन के रूप में उपबंधित या अभिप्राप्त किये गये किसी प्रत्यय पत्र या बंध पत्र या किसी अन्य प्रतिभूति गारन्टी को वसूल कर सकेगी।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनार्थ खनन संक्रियाओं में खानों की कार्यप्रणाली से संबंधित मशीनों का लगाना, ट्राम्बे बिछाना या सड़क निर्माण सम्मिलित है।